भारतीय संघवाद
(Indian Federalism)

भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियाँ (विधायी, कार्यपालक और वित्तीय) केन्द्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित हैं यद्यपि न्यायिक शक्तियों का बँटवारा नहीं है।

सरकार, राज्य का महत्त्वपूर्ण भाग है, परन्तु सभी राज्यों की सरकारों का स्वरूप एकसमान नहीं होता है। सरकार के स्वरूप का चयन देश की विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यही कारण है कि किसी देश की सरकार एकात्मक तथा किसी की संघात्मक होती है। एकात्मक प्रणाली में समस्त शक्ति केन्द्र में निहित होती है जबकि संघात्मक प्रणाली में सम्पूर्ण शक्ति केन्द्र तथा राज्यों में बँटी हुई होती है।

अनुच्छेद-1(I) के अन्तर्गत भारत राज्यों का संघ है अर्थात् सरकार की प्रणाली संघात्मक है। भारतीय संघवाद का उद्भव *कनाडा की प्रणाली* से हुआ, लेकिन भारतीय संघ की स्थापना राज्यों की सहमति या करार द्वारा नहीं हुई है, साथ ही राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

संघात्मक एवं एकात्मक प्रणाली के लक्षण निम्न हैं

संघात्मक लक्षण

संघात्मक प्रणाली में निम्न लक्षणों का होना आवश्यक है

शक्तियों का विभाजन संघ सरकार की मुख्य विशेषता केन्द्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। राष्ट्रीय महत्त्व वाले विषय केन्द्र को तथा स्थानीय महत्त्व वाले विषय राज्य सरकारों को प्रदान किए गए हैं। *इसलिए भारतीय संविधान में तीन सूचियाँ हैं*

1. संघ सूची
2. राज्य सूची
3. समवर्ती सूची

दोहरी शासन प्रणाली

संघात्मक राज्य में दो सरकारें होती हैं, एक राष्ट्रीय और दूसरी राज्य सरकार। भारत में एक केन्द्रीय तथा दूसरी राज्य सरकारें होती हैं।

द्विसदनीय विधायिका

विधानपालिका का द्विसदनीय होना संघीय सरकार में आवश्यक है। प्राय: निम्न सदन जनता का तथा उच्च सदन संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा को निम्न सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है।

Scanned with CamScanner

संविधान का सर्वोच्च होना

देश का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना गया है। संविधान के अनुसार निर्मित कानूनों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है। कोई भी सरकारी अधिकारी अथवा देश का शासक संविधान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है।

संसद या राज्य विधानमण्डल किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं कर सकता है जो संविधान के किसी अनुच्छेद के विरुद्ध हो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्समीक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार न्यायालय, संसद के ऐसे कानून को या कार्यपालिका के ऐसे आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, जो संविधान में उल्लिखित किसी प्रावधान का उल्लंघन करता हो।

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता

संघात्मक व्यवस्था में न्यायालयों को संविधान की पुनर्व्याख्या करने की अन्तिम शक्ति प्राप्त है। जिससे संघ और राज्य सरकारों द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन न हो सके। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियों के वितरण तथा संवैधानिक प्रावधानों को संरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है।

न्यायपालिका की सर्वोच्चता

संघात्मक व्यवस्था में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच परस्पर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे विवादों का निर्णय स्वतन्त्र तथा सर्वोच्च न्यायपालिका ही कर सकती है। संविधान की व्याख्या एवं संविधान की रक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के पास है। इन न्यायालयों के द्वारा की गई संविधान की व्याख्या अन्तिम मानी जाती है। यह न्यायपालिका की सर्वोच्चता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

संघवाद पर प्रमुख विद्वानों के विचार

अलेक्जेण्ड्रोविच के शब्दों में, "यह संघात्मक होते हुए भी राष्ट्रीय हित सर्वोच्च होना चाहिए, पर आधारित है।"

के सी ह्वीयर के शब्दों में, "भारतीय संविधान अर्द्धसंघात्मक है।"

ए एच विर्च के शब्दों में, "भारत में सहयोगी संघवाद है।"

मोरिस जोन्स के शब्दों में, "भारत में सौदेबाजी संघवाद पाया जाता है।"

जेनिंग्स के शब्दों में, "भारत में संघवाद एक अद्वितीय उदाहरण है।"

प्रो. पायली के शब्दों में, "भारत के सविधान का ढाँचा संघात्मक है, किन्तु उसकी आत्मा एकात्मक है।"

संविधान की कठोरता

संविधान की कठोरता भी संघात्मक प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण लक्षण है जिसमें संशोधन की एक विशेष निश्चित विधि का उल्लेख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-368 में विशेष संशोधन विधि उल्लिखित की गई है। *संशोधन करने के लिए भारतीय संविधान को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है*

1. केवल साधारण बहुमत से।
2. कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से।
3. कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत + आधे से अधिक राज्यों के समर्थन के साथ (अति कठोर प्रावधान)।

अत: उपरोक्त सभी लक्षण भारतीय संविधान के संघात्मक होने के परिचायक हैं।

Scanned with CamScanner